राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 31/2025

अपीलांटः–	**बनाम**	**रेस्पोर्डेटः –**
1. श्री अमर फारूक पुत्र दीन मोहम्मद निवासी बीपीएल क्वार्टर, बस स्टेड बालोतरा, जिला बालोतरा।		1 उप तहसीलदार जसोल

आदेश

दिनांक 20.08.2025

अपीलार्थी श्री अमर फारूक पुत्र दीन मोहम्मद निवासी बीपीएल क्वार्टर, बस स्टेड बालोतरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी उप तहसीलदार जसोल के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 05.08.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना उप तहसीलदार जसोल को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय उप पंजीयक जसोल के पत्रांक/2025/128 दिनांक 19.05.2025 को निर्धारित समयावधि में जरिये डाक कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाई गई। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार कर प्रकरण खारिज योग्य है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा कार्यालय उप पंजीयक जसोल के पत्रांक/2025/128 दिनांक 19.05.2025 जरिये डाक उपलब्ध करवा दी गई है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में आवश्यक दस्तावेज के अभाव में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है, होना बताया गया। अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने करने हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 20.08.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा